निदेशक (प्रणाली) दि.वि.प्रा.
डायरी न. 228
दिनाँक 10-1-19

Delhi Development Authority
Dy. 59
Date 7-1-19
E.O-III to EM

दिल्ली विकास प्राधिकरण

हिन्दी विभाग

EO-I To EM
Dy. No. 37.
Date 03/01/2019

सं.स.नि. (रा.भा.)/अनुवाद/2017/266

दिनांक 31/12/18

निदेशक (कार्य) कार्यालय
दि. वि. प्रा.
विकास सदन

निदेशक (का) ... प्राप्त सं. 04 ... दि. 01/01/19

Delhi Development Authority
Dy. 185
Date 17-1-19
E.O-III to EM

संदर्भ संख्या :-

महोदय/महोदया,

आपके विभाग से प्राप्त सामग्री के .... पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद भेजा जा रहा है।

संलग्नक – उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय,

31/12/18

(... कुमार त्यागी)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

Pl mail softcopy at ddatender@dda.org.in
Joshi 11.1.19 SOS
AE-6/EO-3

Pertains to E.O.III
Dir(WS)
3.1.19

AE/6 To personally ensure compliance of instructions at 'X'
7/1/19

Pl. send Email/soft copy of this letter as mentioned at (Y) above.
SSA
AE6/EO-III
31/12/18

Forwarded to Dy. Dir. (System) E.O.III for uploading on DDA website (only MOM).
AE-6
AE6/EO-III

Compare it with English version & then send it to Dy. Dir (System) for uploading on DDA website. (only MOM)
7/1/19

SSA
D D (System)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्य सलाहकार बोर्ड)

संख्या: डब्ल्यू.ए.बी.1(76)/वोल.42/सेक्रे./x/2018/4567 दिनांक 12/12/2018

विषय: डब्ल्यू.ए.बी.(2018) की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त।

सम्मेलन कक्ष, (उपाध्यक्ष सचिवालय), दि.वि.प्रा., पहली मंजिल, बी-ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली में दिनांक 07.12.2018 को अपराह्न 03.30 बजे आयोजित डब्ल्यू.ए.बी.(2018) की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

(आर.के.गर्ग)
सचिव (डब्ल्यू.ए.बी.)

परिचालन हेतु:

1. मुख्य अभियंता (द्वारका), दि.वि.प्रा.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ निजी सचिव को उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के उप निदेशक को अभियंता सदस्य के सूचनार्थ।
3. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ निजी सचिव को वित्त सदस्य के सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता (क्यू.ए.सी.), दि.वि.प्रा.।
5. मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा.।
6. आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.।
7. मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा.।
8. निदेशक (कार्य), दि.वि.प्रा.।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (कार्य) III, दि.वि.प्रा.।

(4 से 9 तक) को सूचनार्थ।

10. निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु और इसे ई-मेल के माध्यम से भी भेजा जाएगा।

सचिव (डब्ल्यू.ए.बी.)

गोपनीय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्य सलाहकार बोर्ड)

संख्या: डब्ल्यू.ए.बी.1(76)/वोल.42/सेक्रे./x/2018/ दिनांक

विषय: सम्मेलन कक्ष, (उपाध्यक्ष सचिवालय), दि.वि.प्रा., पहली मंजिल, बी-ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली में दिनांक 07.12.2018 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित डब्ल्यू.ए.बी. (2018) की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त।

इस बैठक में उपस्थित हुए अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:-

उपस्थित अधिकारी (सर्व श्री)

1.	तरून कपूर	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	शैलेन्द्र शर्मा	अभियंता सदस्य	सदस्य
3.	के. विनायक राव	वित्त सदस्य	सदस्य
4.	मृत्युंजय झा	मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य
5.	आर.के.सिंह	मुख्य अभियंता (क्यू.ए.सी.)	सदस्य
6.	आर.के.गर्ग	अभियंता सदस्य के अभियंता अधिकारी-III	सचिव

अन्य अधिकारी (सर्व श्री)

1.	एस.एन.सिंह	मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
2.	आर.के.सिंह	मुख्य अभियंता (द्वारका)
3.	अजय कुमार बिष्ट	उपाध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी
4.	एच.के.भारती	निदेशक (योजना)
5.	अनिल बैहकी	निदेशक (कार्य)
6.	मनोज शर्मा	अधीक्षण अभियंता/सिविल सर्कल-17
7.	जे.सी.वर्मा	अधिशासी अभियंता /पश्चिमी खण्ड-3

❖ श्री आर.के.सिंह मुख्य अभियंता (द्वारका) और मुख्य अभियंता (क्यू.ए.सी.) के दोहरे प्रभार धारक हैं।

निम्नलिखित एजेंडा मदों पर चर्चा की गई:

(क) श्रेणी "सी": नई मदें

1) संशोधित डब्ल्यू ए.बी. एजेंडा संख्या.742 द्वारका मद/सी.ई.(द्वारका):

कार्य का नाम : द्वारका, परियोजना फेज-II में मुख्य भूमि का विकास कार्य जिसमें 60 मीटर और 45 मीटर मुख्य योजना सड़क का निर्माण शामिल है (सैक्टर-23 (बी), 24, 25 और 26 का विकास कार्य)

उप-शीर्ष : सेक्टर-25, द्वारका, फेज-II के चारो ओर एस.डब्ल्यू वाले (ड्रेन) का निर्माण।

आरंभ में उपर्युक्त कार्य को सौंपने के लिए डब्ल्यू.ए.बी. एजेण्डा दिनांक 11.04.2018 को आयोजित की गई डब्ल्यू.ए.बी. की चौथी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने निविदा का निर्णय लेने से पहले अधिक स्पष्टीकरण लेने का निर्णय लिया।

वित्त अधिकारी द्वारा संशोधित एजेंडा मद संख्या को एफ.ओ.टू. सी.ई. (द्वारका) 1(111) 2017-18/डब्ल्यू डी-3/सीसी-17/4899 दिनांक 20/11/2018 द्वारा प्रस्तुत किया गया और मुख्य अभियंता (द्वारका) द्वारा 07/12/2018 को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

मुख्य अभियंता (द्वारका) ने सूचित किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़कों के कुछ हिस्सों का अंतरण करने के कारण कार्यक्षेत्र में निम्न रूप से कमी हुई है:

निविदा हेतु वास्तविक अनुमानित राशि	कार्यक्षेत्र में कटौती के बाद संशोधित अनुमानित राशि	एल-1 ठेकेदार (मैसर्स ओ.एम कंसट्रक्शन कंपनी) द्वारा उद्यृत वास्तविक राशि	कार्य क्षेत्र में कटौती के बाद मुख्य अभियंता (द्वारका) द्वारा परिकलित की गई संशोधित उद्यृत राशि
रु. 17,59,33,287/-	रु. 14,57,72,667/-	रु. 11,79,02,310/-	रु. 9,89,95,420/-

शक्तियों के प्रत्यायोजन अनुसार 1000 लाख अथवा 10 करोड़ तक की न्यूनतम निविदा की स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता सक्षम प्राधिकारी हैं।

पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने निर्णय लिया चूँकि कार्य मुख्य अभियंता (द्वारका) की क्षमता में आता है इसलिए आगे की आवश्यक कार्रवाई वही करें।

हस्ता./-
(मृत्युंजय झा)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता./-
(आर.के.सिंह)
मुख्य अभियंता (क्यू.ए.सी.)

हस्ता./-
(शैलेन्द्र शर्मा)
अभियंता सदस्य/दि.वि.प्रा.

हस्ता./-
(के.विनायक राव)
वित्त सदस्य/दि.वि.प्रा.

हस्ता./-
(तरून कपूर)
उपाध्यक्ष/दि.वि.प्रा.